

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/पीजी-2023/2023/231

दिनांक : 09/11/2023

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,

राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/ उदयपुर/  
अजमेर/ कोटा/भरतपुर/चुरु/पाली/भीलवाडा/डूंगरपुर/सीकर/  
झालावाड मेडिकल कॉलेज, झालावाड/आरयूएचएस आर्युविज्ञान महाविद्यालय,  
जयपुर/राजकीय डेन्टल कॉलेज, जयपुर/महात्मा गाँधी मेडिकल एण्ड डेन्टल  
कॉलेज, जयपुर/नीम्स युनिवर्सिटी, जयपुर/गीतांजली मेडिकल कॉलेज, उदयपुर/  
पैसिफिक मेडिकल एण्ड डेन्टल कॉलेज, उदयपुर/पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ  
मेडिकल साइन्स, उदयपुर/जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी, जयपुर/अमेरिकन इंटरनेशनल  
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, उदयपुर/अनन्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स,  
राजसमंद/महाराजा गंगासिंह डेन्टल कॉलेज, श्रीगंगानगर/व्यास डेन्टल कॉलेज, जोधपुर/  
सुरेन्द्र डेन्टल कॉलेज, श्रीगंगानगर/दर्शन डेन्टल कॉलेज, उदयपुर/दासवानी  
डेन्टल कॉलेज, कोटा/जयपुर डेन्टल कॉलेज, जयपुर/राजस्थान डेन्टल कॉलेज, जयपुर।

अधीक्षक, राजकीय आर.डी.बी.पी. जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़/बारां/धौलपुर/सिरोही/बून्दी/  
बाडमेर/ब्यावर/झुन्झुनु/चुरु/श्रीगंगानगर/केकडी/टोंक/बांसवाडा/नागौर/भीलवाडा/  
हनुमानगढ़/राजसमंद/सीकर/जैसलमेर/दौसा/चित्तौड़गढ़/उप जिला चिकित्सालय,  
नाथद्वारा, राजसमंद।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, जालोर/करौली/सवाईमाधोपुर/अलवर।

विषय:-पीजी (एमडी/एमएस/एमडीएस/डीएनबी/पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा/पोस्ट  
एमबीबीएस डीएनबी) कोर्स 2023 हेतु सेवारत नियमित/प्रोबेशनर चिकित्सकों के  
अध्ययन अवकाश/असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित करने के  
संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पीजी (एमडी/एमएस/एमडीएस/डीएनबी/पोस्ट  
एमबीबीएस डिप्लोमा/पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी) कोर्स 2023 हेतु सेवारत कोटे से चयनित  
नियमित/प्रोबेशनर चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश/असाधारण अवकाश स्वीकृत करवाये जाने हेतु  
राजस्थान सेवा नियम के नियम 121 ए के अनुसार बॉण्ड राशि रुपये 8000000/- (80 लाख) का  
तथा पीजी उपरान्त पाँच वर्ष तक राजकीय सेवा करने का शपथ मूल ही संलग्न करावे। साथ ही  
संलग्न चैकलिस्ट की पूर्ति कर सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालय द्वारा अग्रेषित  
करवाकर आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करावे। निर्धारित बॉण्ड एवं  
चैकलिस्ट के अभाव में नियमित/प्रोबेशनर चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश/असाधारण अवकाश  
स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 09/11/2023

क्रमांक : राजपत्रित/पीजी-2023/2023/231

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र मय चैकलिस्ट विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

पीजी 20..... में अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु चैकलिस्ट


मेडिकल कॉलेज का नाम .....

क्रम संख्या	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	पूर्व पदस्थापन स्थान का नाम	पूर्व पदस्थापित जिले का नाम	प्रोबेशनकाल पूर्ण (हाँ/नहीं)	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	प्रोबेशन काल पूर्ण करने की तिथि	सेवारत कोटे के पीजी में चयन सूचि में क्रमांक	पीजी में सम्मिलित होने के लिए सूचना प्रेषित की गयी (Intimation letter) (हाँ/नहीं)	पूर्व में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया (हाँ/नहीं)	कॉलेज में कार्यग्रहण करने की तिथि	जिस विषय में पीजी/डीएनबी/पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा कर रहे का नाम	मूल बॉण्ड संलग्न (80/- लाख) (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोट :- जिन चिकित्सकों का चयन सेवारत कोटे के तहत नहीं हुआ है के आवेदन पत्र अग्रहित नहीं करें।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सभी नियमित/प्रोबेशनर चिकित्सक अध्ययन अवकाश/असाधारण अवकाश की पात्रता रखते हैं तथा सभी चिकित्सकों का चयन सेवारत कोटे के तहत हुआ है।

हस्ताक्षर चिकित्सक



प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर एवं सील